राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासिन कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-29, फ़रीदाबाद-121008
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE
NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008
ई-मेल/E-mail : dg.nacen-cbec@nic.in
फोन / Telephone : 0129-2504652-54
फ़ैक्स/Fax : 0129-2504632

फ़ा.सं. नासिन/प्रणाली/13/2023-परीक्षा दिनांक: .10.2023

परीक्षा सूचना

वर्ष 2023-24 के लिए सीमा शुल्क और केंद्रीय कर विभाग में हवलदार एवं एमटीएस से अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा

और

वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में समूह "ग" {समूह "ग" के कार्मिकों की मैट्रिक्स लेवल -1 में (18000-56900 रुपये)} के अधिकारियों की अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा

1. वर्ष 2023-24 के लिए अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में उपर्युक्त वर्णित अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा **01 दिसंबर 2023** को आयोजित की जाएगी।
2. परीक्षा में निम्नानुसार तीन (03) पेपर होंगे :-

पेपर	विषय	अधिकत्तम अंक	उत्तीर्ण अंक	समय	समयावधि (घंटे में)
पेपर- I	सामान्य अंग्रेजी	100	50	पूर्वाह्न 10:00 बजे से 11:00 बजे तक	01
पेपर-II	संख्यात्मक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान	100 (50+50)	50 (25+25)	पूर्वाह्न 12:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक	01
पेपर-III	हिंदी	100	50	अपराह्न 02:00 बजे से 03:00 बजे तक	01

3. पेपर-II अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषा में होगा और अभ्यर्थियों के पास इस पेपर में अंग्रेजी या हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प होगा, जबकि पत्र-I एवं पत्र-III क्रमश: अंग्रेजी और हिन्दी भाषा मे होंगे

और उनका जबाब भी उसी भाषा मे देना होगा। सभी केन्द्रों पर परीक्षा पूर्वाह्न 10:00 बजे से प्रारम्भ हो जाएगी। नवीनतम भर्ती नियमों और समय-समय पर जारी संशोधनों के आधार पर उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) के पास होगा।

4. संबंधित आयुक्तालय/ निदेशालय जहाँ परीक्षा आयोजित होने वाली है, वहाँ पर (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी या समकक्ष पद के) अधिकारी को नामित करेंगे, जो उक्त परीक्षा के संचालन के लिए समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे। **अनुलग्नक-क** (इस सूचना पत्र के साथ संलग्न) के अनुसार प्रश्न पत्रों की मांग के साथ प्राधिकृत अधिकारी का विवरण सहायक निदेशक (परीक्षा) या अपर सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन फरीदाबाद को ईमेल आईडी nacin.exam@icegate.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित नामांकित प्राधिकारी के विवरण के साथ प्रश्न पत्रों की मांग, सहायक निदेशक (परीक्षा) या अपर सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन फ़रीदाबाद तक **केवल ई-मेल के माध्यम से दिनांक 20 नवंबर 2023 तक पहुँच जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें, इसके बाद प्राप्त मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

6. आवश्यक सूचना देते समय, जिस उम्मीदवार के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है, उसके पद का नाम और रोल नंबर स्पष्ट रूप से बताया जाए। **उम्मीदवारों के रोल नंबर "स्टेशन का नाम" और "पोस्ट", जिसके लिए वे उपस्थित होना चाहते हैं, उपसर्ग करके दिए जा सकते हैं। (उदाहरण के लिए) दिल्ली/एलडीसी/01। कृपया रोल नंबर निर्दिष्ट करने के किसी अन्य प्रारूप से बचें।**

7. प्रतिनियुक्ति/लोन के आधार पर काम करने वाले उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए पात्र और इच्छुक हैं, उन्हें उनके मूल आयुक्तालय से नामित किया जाएगा। ऐसे नामांकन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के साथ भेजे जा सकते हैं, यदि उम्मीदवार ने अपनी वर्तमान पदस्थापना में परीक्षा देने के लिए अभ्यावेदन किया है।

8. उक्त परीक्षा के लिए पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ प्रारूप में प्रश्न पत्र, नामित अधिकृत अधिकारी को **दिनांक 30.11.2023 को केवल ई-मेल के माध्यम से** भेजा जाएगा, जो मेल की पावती और जवाब उसी तारीख को नासिन, फ़रीदाबाद को भेजेंगे। **पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड दिनांक 01.12.2023 को, परीक्षा से 1 घंटा पहले उपलब्ध कराया जाएगा।** अधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए।

9. यह परीक्षा नोटिस क्रमशः सीबीआईसी और नासिन वेबसाइट www.cbic.gov.in एवं www.nacin.gov.in पर भी उपलब्ध होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा तय की जाएगी। पात्रता के प्रश्न पर किसी भी संदर्भ में नासिन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

11. परीक्षा में प्राप्त अंक केवल ईमेल के माध्यम से संबंधित सीसीए को सूचित किए जाएंगे। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाय कि सीसीए का सही विवरण **अनुलग्नक-क** में दर्ज किया गया है।

12. यदि यह पाया जाता है कि अनुचित साधनों का उपयोग किया गया था या उपयोग करने की अनुमति दी गई है या परीक्षा में किसी के साथ कोई पक्षपात या अन्याय हुआ है, तो नासिन फ़रीदाबाद किसी भी उम्मीदवार या किसी केंद्र या केंद्रों के समूह की पूरी परीक्षा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केंद्रों के प्राधिकृत अधिकारी या पर्यवेक्षक को अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले में, नासिन, फ़रीदाबाद के अनुमोदन से, किसी अभ्यर्थी या उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरे केंद्र की परीक्षा रद्द करने का भी अधिकार है।

13. **उत्तर-पुस्तिका के सामने के हिस्से पर मुद्रित रूप में या रबर स्टैंप लगाकर अभ्यर्थियों को यह भी अधिसूचित किया जाय कि उनके नाम /पहचान का खुलासा करने का कोई भी प्रयास या** किसी भी स्रोत से नकल करने या परीक्षा के दौरान किसी के साथ परीक्षा हाल के अंदर या बाहर बातचीत करने जैसे अनुचित साधनों का उपयोग या अभ्यर्थियों के किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को निरीक्षक/ पर्यवेक्षक/नासिन द्वारा नकल मानते हुए उनकी परीक्षा को अमान्य कर दिया जाएगा।

14. "परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश" इस पत्र के साथ संलग्न हैं, जो इस परीक्षा सूचना का अभिन्न अंग हैं।

15. यह अपर महानिदेशक (परीक्षा), नासिन, फ़रीदाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है।

Signed by Rachna Tanwar
Date: 23-10-2023 15:36:45
Reason: Approved

(डॉ. रचना तंवर)
अपर निदेशक(परीक्षा)
नासिन, फ़रीदाबाद

निम्नलिखित को प्रतिलिपि:

1. सभी प्रधान मुख्य/ मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त (निवारक), सीमा शुल्क
3. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
4. सभी प्रधान मुख्य/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा सहित
6. सीबीआईसी के अधीनस्थ सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/निदेशक/प्रधान अपर महानिदेशक /अपर महानिदेशक/प्रधान आयुक्त/आयुक्त
7. नार्कोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर
8. सभी प्रधान अपर महानिदेशक/ महानिदेशक, नासिन आंचलिक/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
9. प्रणाली अनुभाग, नासिन, फ़रीदाबाद - सीबीआईसी और नासिन की वेबसाइटों पर अपलोड करने हेतु।

परीक्षा हेतु निर्देश

[वर्ष 2023-24 के लिए (सीमा शुल्क और केंद्रीय कर विभाग में हवलदार एवं एमटीएस/ केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में समूह "ग" के कार्मिक वेतन मैट्रिक्स लेवल -1 (18000-56900 रुपये) के अधिकारियों की

1. संबंधित आयुक्तालय/ निदेशालय (जहाँ परीक्षा आयोजित होने वाली है), एक अधिकारी को नामित करेंगे, जो उक्त परीक्षा के संचालन के लिए समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत होगा और वह स्वतंत्र होकर निष्पक्षता से इसकी गोपनीयता बनाए रखते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अधिकृत अधिकारी को परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक पर्यवेक्षक/ निरीक्षक को नामित करने की आवश्यकता है और प्रश्न पत्रों की आवश्यक संख्याओं की प्रतिलिपियां उनकी व्यक्तिगत देखरेख में गुप्त रूप से की जाएगी।

2. परीक्षा के कार्य में पर्यवेक्षक/ निरीक्षक को उम्मीदवारों को अनुक्रमांक आवंटित करने, उम्मीदवारों के लिए बैठने की व्यवस्था करने, उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्न पत्रों जैसी मानक स्टेशनरी की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। परीक्षा केंद्रों के पर्यवेक्षक अधिकारी/निरीक्षक, अनुचित साधनों के उपयोग के मामले में, नासिन फ़रीदाबाद के अनुमोदन से, किसी उम्मीदवार या उनके अधिकार क्षेत्र के तहत पूरे केंद्र की परीक्षा रद्द करने का भी अधिकार रखते है।

3. **प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित विवरण या तो मुद्रित रूप में या रबर स्टांप लगाकर अनुलग्नक-ख (नोटिस के साथ संलग्न) के अनुसार होना चाहिए:-**
    1) परीक्षा का नाम
    2) रोल नंबर
    3) केंद्र का नाम
    4) परीक्षा की तिथि व समय
    5) विषय एवं पेपर का नाम
    6) उपयोग की गई खुले उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/ निरीक्षक उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या भी निर्दिष्ट करेंगे)।
    7) पर्यवेक्षक/ निरीक्षक के हस्ताक्षर (इस तथ्य की जांच करने के बाद कि उम्मीदवारों द्वारा विवरण सही ढंग से भरे गए हैं)
    8) प्राप्तांक/अधिकतम अंक
    9) पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर

4. **यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम लिखता है या किसी चिन्ह/प्रतीक/हस्ताक्षर आदि का उपयोग करता है जो किसी भी तरह से अभ्यर्थी की पहचान का संकेत दे सकता है, तो अभ्यर्थी की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।**

5. **उत्तर-पुस्तिका के सामने के हिस्से पर मुद्रित रूप में या रबर स्टैंप लगाकर अभ्यर्थियों को यह भी अधिसूचित किया जाय कि उनके नाम /पहचान का खुलासा करने का कोई भी प्रयास या** किसी भी स्रोत से नकल करने या परीक्षा के दौरान किसी के साथ परीक्षा हाल के अंदर या बाहर बातचीत करने जैसे अनुचित साधनों का उपयोग या अभ्यर्थियों के किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को निरीक्षक/पर्यवेक्षक/नासिन द्वारा नकल मानते हुए उनकी परीक्षा को अमान्य कर दिया जाएगा।

6. उम्मीदवारों द्वारा भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन के बाद पर्यवेक्षक/निरीक्षक उत्तर-पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर (अनुलग्नक- ख में दिये गए विवरण के अनुसार) हस्ताक्षर करेंगे। पर्यवेक्षक/निरीक्षक अभ्यर्थियों द्वारा इस्तेमाल की गयी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक खुले पन्ने (loose sheet) पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या भी अंकित करेंगे।

7. निरीक्षक और पर्यवेक्षक परीक्षा आयोजित करने में गोपनीयता, निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनुचित साधन का उपयोग नहीं किया जाए, जो किसी को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त लाभ दे सकता हो और इस प्रकार दूसरों के लिए प्रतिकूल हो सकता हो। पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार डिज़ाइन और संचालित किया जाएगा ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। यदि किसी अनुचित साधन का उपयोग संज्ञान में लाया जाता है, तो नासिन के पास सम्पूर्ण परीक्षा या किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार या केंद्र या केंद्रों के समूह की पूरी परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षकों/ निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की जा सकती है।

8. अभ्यर्थियों की पात्रता सीसीए द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और परीक्षा के संचालन के अलावा किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण पर नासिन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया/ संचालन के संबंध पत्राचार, श्री अनुज शर्मा, सहायक निदेशक (परीक्षा) (संपर्क 9463546655) अथवा श्री प्रभात कुमार, अपर सहायक निदेशक (परीक्षा), (संपर्क-9958520646), नासिन, सैक्टर-29, फरीदाबाद-121008 को या ईमेल आईडी: nacin.exam@icegate.gov.in पर किया जा सकता है।

9. परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा हॉल में या उसके आसपास मोबाइल फोन और ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करना और ले जाना सख्त वर्जित है।

10. अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में पहले तीस मिनट के दौरान हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसके अतिरिक्त पेपर पूरा होने/जमा करने पर भी और परीक्षा अवधि के दौरान पहले तीस मिनट पूरा होने के पश्चात एक समय में केवल एक ही अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

11. पेपर-I और पेपर-III क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में होंगे। पेपर- II द्विभाषी होगा और उम्मीदवारों के पास अंग्रेजी या हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प होगा।

12. **सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं उचित रूप से टैग/बंच करके परीक्षा के तुरंत बाद नासिन, फ़रीदाबाद को भेज दी जाएंगी। इनका मूल्यांकन नासिन द्वारा किया जाएगा।**

13. उत्तर पुस्तिकाएं और उपस्थिति शीट आवंटित रोल नंबर के अनुसार क्रमबद्ध रूप से एक सीलबंद लिफाफे में भेजी जाएंगी।

14. नासिन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को केवल सीसीए को सूचित किया जाएगा। परिणाम [प्रासंगिक भर्ती नियमों के अनुरूप; लागू निर्देश, यदि कोई हो, (समय-समय पर मंत्रालय/बोर्ड आदि द्वारा), एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को छूट का अनुदान, जो भी लागू हो] सीसीए या

सीसीए द्वारा अधिकृत किसी अन्य कार्यालय द्वारा, इस कार्यालय को सूचित करते हुए विधिवत घोषित किया जाएगा।

15. अपर महानिदेशक(परीक्षा), नासिन फ़रीदाबाद के अनुमोदन से जारी।

(डॉ. रचना तंवर)
अपर निदेशक(परीक्षा)
नासिन फ़रीदाबाद

[वर्ष 2023-24 के लिए (सीमा शुल्क और केंद्रीय कर विभाग में हवलदार एवं एमटीएस/ केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में समूह "ग" के कार्मिक वेतन मैट्रिक्स लेवल -1 (18000-56900 रुपये) के अधिकारियों की
अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा]

<u>अनुलग्नक 'क'</u>

(नामांकन और प्रश्न पत्रों की मांग के लिए प्रपत्र)

1. आयुक्तालय/निदेशालय का नाम
2. संवर्ग नियंत्रण क्षेत्र का नाम
3. परीक्षा केंद्र का नाम
4. गठन (सीसीए) की आधिकारिक मेल आईडी (विभागीय परीक्षाओं के संबंध में कोई भी पत्राचार यानी उम्मीदवारों के अंक यहाँ उल्लिखित मेल आईडी से भेजे जाएंगे)
5. नामांकित प्राधिकृत अधिकारी (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी या समकक्ष रैंक अधिकारी) जो परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे एवं जिन्हें ईमेल के द्वारा पीडीएफ प्रारूप में प्रश्न पत्र भेजा जाना है, का नाम और आधिकारिक पता (कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें)

(i) Gov.in मेल आईडी:

(ii) दूरभाष:

(iii) फ़ैक्स:

(iv) व्हाट्सएप मोबाइल नंबर:

6. केंद्र पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का विवरण

वर्ष 2023-24 हेतु एलडीसी ग्रेड में पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा						
क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	पदनाम	आवंटित अनुक्रमांक	विषय जिनमे पेपर देना है (कृपया हाँ/ नहीं इंगित करें)		
				पेपर-I (सामान्य अंग्रेजी) (हाँ/ नहीं)	पेपर-II (संख्यात्मक योग्यता और सामान्य ज्ञान) (हाँ/ नहीं)	पेपर-III (हिन्दी) (हाँ/ नहीं)
1.						
2.						

[वर्ष 2023-24 के लिए (सीमा शुल्क और केंद्रीय कर विभाग में हवलदार एवं एमटीएस/ केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में समूह "ग" के कार्मिक वेतन मैट्रिक्स लेवल -1 (18000-56900 रुपये) के अधिकारियों की अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा]

<u>अनुलग्नक 'ख'</u>

(प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रोफार्मा)

परीक्षा केंद्र का पूरा पता		
1.	परीक्षा का नाम	
2.	अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
3.	परीक्षा केंद्र का नाम	
4.	परीक्षा की तिथि एवं समय	

5.	पेपर और विषय का नाम	
6.	उपयोग की गई खुले उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/ निरीक्षक उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या भी निर्दिष्ट करेंगे)	
7.	पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर (इस तथ्य की जांच करने के बाद कि उम्मीदवारों द्वारा विवरण सही ढंग से भरे गए हैं)	
8.	प्राप्त अंक/अधिकतम अंक	
9.	परीक्षक के हस्ताक्षर	

ध्यान दें: यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम लिखता है या किसी चिन्ह/प्रतीक/हस्ताक्षर आदि का उपयोग करता है जो किसी भी तरह से अभ्यर्थी की पहचान का संकेत दे सकता है, तो अभ्यर्थी की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।